

छत्तीसगढ़ शासन



छत्तीसगढ़ राज्य में तकनीकी संस्थाओं में संचालित
एम.ई./एम.टेक., एम.फार्मेसी, एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में
प्रवेश हेतु नियम/प्रक्रिया सत्र
2016-17

तकनीकी शिक्षा संचालनालय

तृतीय खण्ड, तृतीय/चतुर्थ मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2221376, फ़ैक्स 0771-2331331

website-www.cgdterapur.ac.in

महत्वपूर्ण निर्देश

- अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता काउंसिलिंग के समय होती है। अतः काउंसिलिंग के पूर्व ही निम्नानुसार दस्तावेजों को सक्षम अधिकारी से बनवाकर रख लें, ताकि काउंसिलिंग के समय असुविधा न हो :-

1. छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र
2. स्थायी जाति प्रमाण पत्र (अस्थायी स्वीकार्य नहीं)
3. दसवीं की अंकसूची (जन्म तिथि प्रमाण हेतु)
4. स्नातक/अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची
5. निःशक्तता से बाधित होने संबंधी प्रमाणपत्र -
 - (1) संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड एवं
 - (2) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दाना गोदाम मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी हो ।

(उपरोक्त दोनों अधिकारियों से जारी निःशक्तता से बाधित होने संबंधी प्रमाणपत्र - संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड एवं अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन प्रमाण पत्र आवश्यक है) ।

काउंसिलिंग कार्यक्रम एवं रिक्त सीटों की अद्यतन जानकारी हेतु संचालनालय तकनीकी शिक्षा की अधिकृत वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in का अवलोकन करते रहें ।

- काउंसिलिंग सामान्यतया जून एवं जुलाई माह में होती है परंतु इसमें परिवर्तन हो सकता है । कृपया समाचार पत्रों का नियमित अवलोकन करते रहें, **इसके लिये पृथक से कॉल लेटर नहीं भेजा जायेगा।**
- इस पुस्तिका का अध्ययन ठीक से अवश्य कर लें एवं यह सुनिश्चित कर लें कि आप प्रवेश हेतु पात्र हैं । केवल प्रवेश परीक्षा में बैठने मात्र से प्रवेश की पात्रता नहीं बन जाती ।

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
::-- मंत्रालय --::
अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक / /2016 क्रमांक एफ 9-6/2015/तक.शि./42 :: छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008” के सेक्शन 3(6) के प्रावधान के अनुसार निजी संस्थाओं में संचालित एम.ई./एम.टेक. (Master of Engineering/Master of Technology), एम.फार्मसी (Master of Pharmacy), एम.बी.ए. (Master of Business Administration) पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश संबंधित सामान्य प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर होंगे। सत्र 2016-17 के लिये इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये क्रमशः Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE), Graduate Pharmacy Aptitude Test (GPAT) एवं Common Management Admission Test (CMAT) को सामान्य प्रवेश परीक्षा के रूप में मान्य किया जाता है।

GATE का आयोजन IITs द्वारा किया जाता है, जबकि GPAT एवं CMAT का आयोजन AICTE द्वारा किया जाता है। प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना (जम्मू कश्मीर के विस्थापितों को छोड़कर) अनिवार्य है। एमबीए के लिए Common Management Admission Test (CMAT) को प्राथमिकता दी जाएगी, तत्पश्चात् सीट रिक्त रहने पर Management Aptitude Test (MAT)/Common Admission Test (CAT)/Xavier Aptitude Test(XAT)/ Joint Management Entrance Test (JMET), AIMS Test for Management Admissions (ATMA) आदि को भी समतुल्य सामान्य प्रवेश परीक्षा के रूप में मान्य किया जाकर प्रवेश दिए जा सकेंगे। प्रवेश के संबंध में निम्नानुसार नियम/प्रक्रिया निर्धारित किये जाते हैं (इन्हीं नियमों के आधार पर ही छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय/शासकीय विवि संस्थाओं में भी प्रवेश होंगे) :-

- 2.1 **संक्षिप्त नाम** :-ये नियम एम.ई./एम.टेक, एम.फार्मसी, एमबीए पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2016 कहलायेंगे। इन नियमों को एतस्मिन् पश्चात् ‘पी.जी. प्रवेश नियम’ कहा गया है।
- 2.2 **विस्तार** :-ये नियम उन अभ्यर्थियों पर लागू होंगे जो :-
एम.ई./एम.टेक., एम.फार्मसी, एमबीए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में राज्य की शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में तथा निजी क्षेत्र की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से अनुमोदित संस्थाओं में प्रवेश के इच्छुक हैं तथा राज्य में स्थित उन सभी संस्थाओं पर लागू होंगे जो इन पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिये ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त हैं।
- 2.3 **परिभाषायें** :-
इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा :-
 1. ‘प्रवर्ग’ का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति प्रवर्ग (SC- Scheduled Caste), अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (ST- Scheduled Tribe) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC- Other Backward Class) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) जो इन तीनों प्रवर्ग में नहीं आता उसे अनारक्षित प्रवर्ग (UR- Un Reserved) माना जायेगा।
 2. ‘सक्षम प्राधिकारी’ (स.प्रा.) का तात्पर्य है ऐसा अधिकारी जिसे राज्य शासन द्वारा काउंसिलिंग कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।
 3. ‘प्राचार्य’ का तात्पर्य है संस्था प्रमुख।
 4. ‘छत्तीसगढ़’ का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ राज्य जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01.11.2000 को अस्तित्व में आया।
 5. ‘अ.भा.त.शि.प.’ का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली।
 6. ‘संचालक’ का तात्पर्य है संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर।
 7. ‘अभ्यर्थी’ से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है।
 8. ‘प्रायोजित अभ्यर्थी’ (Sponsored Candidate) से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जो राज्य शासन/ केन्द्र शासन /किसी पंजीकृत कम्पनी/संस्था में पूर्णकालिक अथवा संविदा पर कम से कम 2 वर्ष से नियोजित है तथा जिसे नियोक्ता/प्राधिकारित अधिकारी द्वारा पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने तथा अध्ययन करने हेतु अनुमति दिया गया हो।

Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2016

9. 'वर्ग' से अभिप्रेत है 'सैनिक वर्ग', 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग' एवं 'निःशक्तता से बाधित वर्ग' में से कोई एक जो उपरोक्त किसी भी वर्ग में नहीं आता उसे 'बिना वर्ग' माना जायेगा।
- 2.4 (अ) प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन - विभिन्न प्रकार की संस्थाओं/पाठ्यक्रमों की सीटों को सत्र 2016-17 के लिये निम्नानुसार कोटा प्रतिशत में विभाजित किया गया है :-

विवरण	ME/MTech		M.Pharmacy		MBA	
	CG	Sponsored	CG	MGT	CG	MGT
निजी संस्थायें	75	25	85	15	85	15
शासकीय संस्थायें	75	25	100	NIL	100	NIL
शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्था	75	25	100	NIL	100	NIL
अल्पसंख्यक संस्था	75	25	50	50	50	50

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (C.G. Quota) :- इस कोटा के अंतर्गत छ.ग. के मूल निवासी छात्रों को प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। छ.ग. राज्य के मूल निवासी उपलब्ध न होने पर इसे आवश्यकतानुसार अन्य राज्य के अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है। इस कोटे पर प्रवेश की कार्यवाही केन्द्रीय काउंसिलिंग के माध्यम से संचालनालय द्वारा की जायेगी।
- (2) प्रायोजित कोटा (Sponsored Quota) में केवल प्रायोजित अभ्यर्थी ही प्रवेश ले सकता है। निवास का बंधन नहीं है। इस कोटे पर प्रवेश संस्था स्तर पर होंगे परंतु इस कोटे में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। शेष सभी नियम लागू रहेंगे। प्रायोजित कोटा की व्यवस्था केवल ME/M.Tech. में ही रखी गई है।
- (3) मैनेजमेंट कोटा (Management Quota) :- इस कोटे के अंतर्गत छ.ग. राज्य के साथ ही साथ अन्य राज्य के छात्र भी प्रवेश हेतु पात्र हैं। इस कोटे पर प्रवेश संस्था स्तर पर होंगे परंतु इस कोटे में प्रवेश के लिए भी शेष संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

टीप :-1 निजी संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटा की व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक Special leave to appeal (Civil) 26436/2012 के अंतिम निर्णय के अध्वधीन रहेगी।

- 2 कोई संस्था स्वेच्छा से मैनेजमेंट कोटा की समस्त सीटों को छत्तीसगढ़ राज्य कोटा में समर्पण कर सकती है। आंशिक समर्पण मान्य नहीं है। इसके लिए संस्था को काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व आवेदन करना होगा।

2.4 (ब) प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान -

- 2.4.1 Table-1 में एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं एवं उनमें प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की जानकारी दर्शाई गई है। Table-2 में एम.फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं एवं उनमें प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की जानकारी दर्शाई गई है तथा Table-3 में एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं एवं उनमें प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की जानकारी दर्शाई गई है।
- 2.4.2 काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये प्रत्येक निजी संस्था को रु.1000/- प्रति स्वीकृत सीट की दर से कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता अनुसार कौशन मनी काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य है। किसी संस्था को कौशन मनी न जमा करने पर अथवा अन्य समुचित कारण/कारणों से केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर रखना, यह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति का विशेषाधिकार रहेगा। यह कौशन मनी संस्थाओं द्वारा छात्रों की फीस संबंधी शिकायत के निराकरण के पश्चात वापसी योग्य है। फीस वापसी संबंधी शिकायतों का निराकरण यदि संस्था द्वारा नहीं किया जाता है, तो जमा कौशन मनी से छात्रों को फीस वापस करने की कार्यवाही की जा सकती है।
- 2.4.3 एम.ई./एम.टेक के लिए प्रायोजित अभ्यर्थियों हेतु सीटों की संख्या -
कुल सीटों में से विषयवार/ब्रांचवार एवं संस्थावार 18/20 सीटों पर 5 सीटें, 24 सीटों पर 6 सीटें, 36 सीटों पर 9 सीटें प्रायोजित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी। तथापि प्रायोजित सीटें नहीं भरने पर इसे अप्रायोजित अभ्यर्थी से GATE के माध्यम से भरा जा सकेगा। उसी प्रकार यदि सामान्य अप्रायोजित अभ्यर्थी से GATE के माध्यम से सीट नहीं भरती है, तो उसे प्रायोजित अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा। एम. फार्मसी तथा एम.बी.ए. के लिए प्रायोजित सीटें उपलब्ध नहीं हैं।

2.5 सीटों का आरक्षण-

2.5.1 उर्ध्वाधार आरक्षण (Horizontal Reservation)

छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्गों के लिए-

(अ) शासकीय संस्थाओं, शासकीय विवि संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्गों के लिए क्रमशः 12, 32 एवं 14 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण किया गया है। शेष 42 प्रतिशत सीटें अनारक्षित (UR) रहेंगी। इन अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार पर किसी भी प्रवर्ग का (SC/ST/OBC/GEN) अभ्यर्थी प्रवेश पा सकता है। आरक्षण के संबंध में समय-समय पर शासन के आदेश / अधिसूचना लागू होंगी। आरक्षित सीटों की जानकारी काउंसिलिंग के समय दी जाएगी।

(ब) ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित श्रेणी में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी तथापि मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट पर प्रवेश की पात्रता रहेगी।

टिप्पणी :-

- (अ) विभिन्न आरक्षित प्रवर्गों में से अभ्यर्थी केवल एक ही प्रवर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।
- (ब) जिस प्रवर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (स) उम्मीदवार द्वारा प्रवर्ग तथा वर्ग में आरक्षण हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के बाद किसी भी स्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
- (द) अन्य राज्य के आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई आरक्षण अथवा योग्यता में छूट की व्यवस्था नहीं है। इन्हें अनारक्षित श्रेणी में मान्य करते हुए नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।

2.5.2 क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

शासकीय/शासकीय विश्वविद्यालय संस्था में केवल निःशक्तता से बाधित (Handicap) अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था है।

2.5.3 महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षण- शासकीय एवं शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं की सीटों में प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी में होरिजोन्टल वर्ग के अंतर्गत महिला उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत सीटों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा। किसी भी वर्टिकल या उसके अंतर्गत होरिजोन्टल वर्ग में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस प्रवर्ग की पात्रता के पुरुष उम्मीदवार को प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान अन्य प्रवर्ग में समायोजित नहीं किये जावेंगे। **निजी संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है।**

2.5.4. जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग

- 1 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित व्यक्ति के पुत्र/पुत्रियों के लिये शासकीय संस्थाओं, शासकीय विश्वविद्यालयीन एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त आरक्षित है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से निर्धारित प्रारूप-7 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों के पुत्र/पुत्रियों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य नहीं है।
- 2 इसी वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप-8 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 3 किसी संस्था के लिये एक ही तिथि को एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रथमतः छत्तीसगढ़ में विस्थापित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। तत्पश्चात् अन्य राज्य में विस्थापित को सीट रिक्त रहने पर प्रवेश दिया जा सकेगा परंतु अलग-अलग तिथि होने पर जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीट आवंटित किया जायेगा।

4 जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापितों को जम्मू कश्मीर राज्य के लिये आरक्षित सीटों पर प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश होंगे।

2.6 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें -

2.6.1 शैक्षणिक अर्हता-

(अ) एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम हेतु

एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.ई.) अथवा समुचित विषय में समकक्ष उपाधि अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छ.ग. के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित (ST,SC,OBC & PWD) के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। काउंसिलिंग (दस्तावेज परीक्षण) की तिथि को अनुत्तीर्ण अथवा पूरक/कम्पार्टमेंट अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी।

टीप:-1. बी.ई. के समकक्ष उपाधि जैसे MHRD से मान्यता प्राप्त संस्था से मान्यता प्राप्त AMIE आदि की उपाधि को भी प्रवेश हेतु पात्र माना जाएगा।

2. AICTE की नीति के अनुसार दूरस्थ शिक्षा से इंजीनियरिंग (बीई/बी.टेक) उपाधिधारी अभ्यर्थी भी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों को अपने स्टडी सेन्टर का यूजीसी/एआईसीटीई/राज्य शासन से मान्यता प्राप्त होने का दस्तावेज अनिवार्य रूप से दस्तावेज परीक्षण के समय जमा करना होगा। इस दस्तावेज के अभाव में उन्हें पात्र नहीं माना जायेगा। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त मान्यता पत्र मान्य नहीं होगा।

(ब) एम.फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु

एम.फार्मैसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फार्मैसी में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष उपाधि अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छ.ग. के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित (SC,ST,OBC, PWD) के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। काउंसिलिंग (दस्तावेज परीक्षण) की तिथि को अनुत्तीर्ण अथवा पूरक/कम्पार्टमेंट अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी।

(स) एम.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु

एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी मान्यता प्राप्त संकाय/विषय में 3 वर्षीय स्नातक उपाधि अथवा 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड उपाधि अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित (SC,ST,OBC, PWD) के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। काउंसिलिंग (दस्तावेज परीक्षण) की तिथि को अनुत्तीर्ण अथवा पूरक/कम्पार्टमेंट अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी।

टीप :-1 यदि प्रतिशत पूर्णांक में न हो तो 49.5 या उससे उपर को 50 तथा 44.5 या उससे उपर को 45 प्रतिशत मान्य किया जायेगा।

2.6.2 छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी होने की आवश्यकता

प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। अतः निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक है। छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये निर्देशों के अंतर्गत यथापरिभाषित होगा एवं नीचे अन्यथा वर्णित को छोड़ सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार अथवा वरिष्ठतर अन्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा समय-समय पर राज्य शासन के निर्देशों के तहत जारी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र (प्रारूप-3) के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है। इस प्रमाण पत्र में प्रकरण क्रमांक, जारी करने की तिथि व न्यायालय/कार्यालय की सील, जारीकर्ता अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्धशासकीय निकायों तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों के राज्य में या राज्य के बाहर पदस्थ होने पर तथा प्रारूप-4 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी।

भारत सरकार के कार्मिकों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों एवं केन्द्रीय अर्धशासकीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों के छत्तीसगढ़ राज्य में इन नियमों के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के पूर्व पदस्थ होने पर तथा **प्रारूप-5** में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को भी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी।

भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित पिता/माता की सन्तान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माने जायेंगे। ऐसे पुनर्व्यवस्थापित पिता/माता की सन्तानों को **प्रारूप-6** में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अभिभावक की परिभाषा :

अभिभावकों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट) की राय में आवेदक के पिता और माता दोनों की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हों तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जाएगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

दत्तक संतान के विषय में स्पष्टीकरण :

दत्तक संतानों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में दत्तक संतान के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक संतान होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व निष्पादित वैध दत्तकनामा (Adoption Deed) होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जाएगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा गत पांच वर्षों में आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये उपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता/माता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहें हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किन्हीं अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे।

2.6.3 आयु सीमा

इन पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु दिनांक 01.07.2016 को अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की जाती है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/निःशक्तता से बाधित/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में अधिकतम 3 वर्ष की छूट रहेगी। प्रायोजित अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेशी सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों पर लागू नहीं होगा।

2.7 प्रवेश हेतु चयन पद्धति -

2.7 (अ) सामान्य प्रवेश परीक्षा एवं मेरिट का निर्धारण -

1 एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम हेतु

एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का चयन IITs द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा गेट (GATE) की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में शून्य से अधिक प्राप्तांक अनिवार्य है। इससे कम प्राप्तांक होने पर प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी। मेरिट प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के प्रतिशत/स्कोर के आधार पर तैयार की जाएगी।

2 एम.फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु

एम.फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का चयन AICTE द्वारा आयोजित जीपेट (GPAT) के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में शून्य से अधिक प्राप्तांक अनिवार्य है। इससे कम प्राप्तांक होने पर प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी। मेरिट प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के प्रतिशत/स्कोर के आधार पर तैयार की जाएगी।

3 एम.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु

एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का चयन AICTE द्वारा आयोजित सीमेट (CMAT) के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसके पश्चात भी सीट रिक्त रहने पर CAT /MAT/XAT/ JMET/ ATMA को समतुल्य मानते हुये

Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2016

इसके मेरिट के आधार पर किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में शून्य से अधिक प्राप्तांक अनिवार्य है। इससे कम प्राप्तांक होने पर प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी। मेरिट प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के प्रतिशत/स्कोर (Score/Composite Score) के आधार पर तैयार की जाएगी।

- टीप : 1. एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित संबंधित/समुचित विषय में GATE में सम्मिलित होना अनिवार्य है, प्रायोजित अभ्यर्थी के लिए प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है।
2. अभ्यर्थी के पास संबंधित प्रवेश परीक्षा का वैध स्कोरकार्ड (Valid Score Card) होना अनिवार्य है।
- 5 प्रवेश परीक्षा में समान मेरिट/प्राप्तांक होने की स्थिति में पहले अर्हकारी परीक्षा में अधिक प्राप्तांक वाले को तथा यह भी समान होने पर फिर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

2.7 (ब) एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता के लिए विभिन्न स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम एवं GATE के विषय

क्र.	पी जी पाठ्यक्रम का नाम जिसमें प्रवेश दिया जाना है	पात्रता हेतु संबंधित डिग्री पाठ्यक्रम के ब्रांच/ विषय का नाम इंजीनियरिंग एवं साईंस	GATE के विषय
1	CAD - CAM (Robotics)	Mechanical Engg./ Production Engg.	ME/PI
2	Computer Science Engg.	Computer Science/InformationTech./ Electrical Engg/ Electronics & communication Engg. /Tele communication Engg /Electrical & Electronics Engg./Instru & Control/ Electronics/Electronics & Instru/Computer Hardware & Software Engg./MCA/M.Sc.(IT)/ M.Sc.(CS)/ M.Sc.(Electronics)/AE&I	CS/EC/IN /EE
3	ET Engg.(Digital Electronics)	Electronics & communication Engg./ Electrical & Electronics Engg/Electronics/ Electronics & Instrumentation/ Instrumentation & Control/ AE&I/M.Sc.(Electronics)	EC/IN
4	ET Engg. (Instrumentation.&Control)	Applied Electronics & Instrumentation/Electronics & Instrumentation/ Electronics & communication Engg./ Electrical & Electronics Engg/Instrumentation/ Electronics/Instrumentation & Control/Electrical	EC/IN
5	Environmental Engg.	Any Discipline	Any Subject
6	Civil Engg. (Structural Engg.)	Civil Engg.	CE
7	Computer Technology/ Computer Technology & Applications	Computer Science/InformationTech/MCA/ M.Sc.(IT)/ M.Sc.(CS)/Computer Tech.	CS
8	ET Engg. (Communication)	Electronics & communication Engg./ Electrical & Electronics Engg/Electronics/ M.Sc.(Electronics)/Electronics & Instrumentation	EC/IN
09	Computer Aided Design	Mechanical/ Production/ Refrigeration & Airconditioning/ Automobile/ Manufacturing/Industrial/Tool and Die Making/ Drilling Tech/ Fabrication Technology & Erection Engg./ Mechatronics/Textile Engg./Printing Tech./ Paper Tech./ Sugar Tech./Plastic Tech.	ME/PI/TF
10	Thermal Engg.	Mechanical Engg./Production Engg.	ME/PI
11	Power Electronics	Electronics & communication Engg. / Electrical & Electronics Engg/ Electronics/ AE&I/Electronics & Instrumentation/Electrical/M.Sc.(Electronics)	EE/EC/IN
12	VLSI & Embedded system design/VLSI Design	Electronics & communicationEngg./ Electrical & Electronics Engg/ Electronics/ Electronics & Instrumentation/CS/IT/Electrical Engg.	EC/CS/IN
14	Information Security	Computer Science/InformationTech/M.Sc.(IT)	CS
15	Software Engineering	Computer Science/InformationTech/M.Sc.(IT)	CS
16	Mechanical Engg. Design/ Machine Design	Mechanical Engg/Automobile Engg./Aeronautical Engg./Production	ME/PI

Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2016

17	Mechanical Engg. (Production Engg.)	Mechanical Engg./Production Engg./Automobile/Material Science/Manufacturing/Industrial Engg./Metallurgy Engg.	ME/PI/MT
18	Electrical Engg. (Power System Engg.) /Electrical Devices & Power System Engineering	Electrical Engg./Electrical & Electronics Engg/Power Engg.	EE
19	Nano Technology	Electronics/Instrumentation/E&I/Material Science/Chemical / Bio Tech. / M.Sc.(Electronics)/M.Sc.(Physics) /M.Sc.(Chemistry), M.Sc.(Bio. Tech.)	EC/IN/CH/ BT/PH/CY
20	Machine Design	Mechanical Engg/Automobile Engg./Aeronautical Engg./Production Engg.	ME/PI
21	Information Technology	Computer Science/Information Tech/Computer Tech./MCA/ M.Sc.(IT)/ M.Sc.(CS)	CS
22	Industrial Engg. /Industrial Engg. & management	Mechanical Engg/Mechatronics/Automobile Engg./Aeronautical Engg./Industrial Eng/Production Engg./Metallurgy Engg.	ME/IN/PI/ MT
23	E-Security	Computer Science/Computer Technology/Information Tech/Computer Hardware & Software Engg./ Applied Electronics & Instrumentation/ Electronics & Instrumentation/ Electronics & communication Engg./ Electronics & Tele communication Engg./ MCA/ M.Sc.(IT)/ M.Sc.(CS)	CS/EC/IN
24	Electronics and Telecommunication	Electronics & Communication Engg. / Electrical & Electronics Engg/Electronics/Electronics & Instrumentation/M.Sc.(Electronics)	EC/IN
25	Electronics and Instrumentation	Applied Electronics & Instrumentation/ Electronics & Instrumentation/ Electronics & Communication Engg./ MCA/ M.Sc.(IT)/ M.Sc.(CS)	EC/IN
26	Industrial Drives and Control	Electrical Engg/Electrical & Electronics Engg/Electronics & Power System/Power Engg/ Power Electronics or Appropriate Discipline related to Electrical Engg	EE
27	Computer Network	Computer Science/Information Technology/Electrical Engg/Electronics & Communication Engg./Electrical and Electronics Engg/Instrumentation and Control/Electronics/Electronics and Instrumentation/Computer Hardware and Software Engg/AEI/MCA/M.Sc.(IT)/M.Sc. (CS) and M.Sc. (Electronics)	CS/EC/IN/EE
28	Cyber Forensic and Information Security	Computer Science/Information Technology/Electrical Engg/Electronics & Communication Engg./Electrical and Electronics Engg/Instrumentation and Control/Electronics/Electronics and Instrumentation/Computer Hardware and Software Engg/AEI/MCA/M.Sc.(IT)/M.Sc. (CS) and M.Sc. (Electronics)	CS/EC/IN/EE
29	Energy Management	Machanical/Automobile/Production/Industrial/Machatronics/Aeronotic s Engg	ME
30	Power System and Control	Electrical Engg/Electrical and Electronics Engg./Electronics and Power System/Power Engg/Power Electronics or Appropriate Discipline related to Electrical Engg.	EE
31	Industrial Safety	Machanical/Civil/ Electrical/ Electronics and Telecommunication/ Electrical and Electronics/Chemical/Metallurgy/Mining/Automobile/Production/Industrial Engg./Power Engg./Electronics and Instrumentation/Aeronotical Engg./ Instrumentation and Control/AEI Engg./ Power System Engg./ Power Electronics/Machatronics Engg.	CE/ME/EE/ EC/MT/PI/ CH

- टीप :-
1. समुचित Technical Subject को समान मानते हुये एकजाई मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा।
 2. किसी Technical Subject के समतुल्य होने के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होने पर काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।

3. यह नियमित कोर्स है एवं नौकरी पेशा अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए अपने नियोक्ता से इस संबंध में अनापत्ति /प्रायोजन प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इनके लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है।
4. Electronics, Electronics & Communication, Electronics & Telecommunication को समतुल्य माना जाएगा। Applied Electronics & Instrumentation , Electronics & Instrumentation को समतुल्य माना जाएगा। इसी प्रकार Physics एवं Applied Physics तथा Chemistry एवं Applied Chemistry को समतुल्य माना जाएगा।
5. एम.ई./एम.टेक. के किसी विषय में प्रवेश के लिए गेट के विभिन्न विषयों को समान मानते हुए प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर मेरिट निर्धारित किया जाएगा।

2.8 आबंटन/प्रवेश प्रक्रिया-

- 2.8.1 इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश के लिये संस्था आबंटन हेतु कार्य काउंसिलिंग समिति द्वारा केन्द्रीय ऑन लाइन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा। काउंसिलिंग समिति सक्षम अधिकारी द्वारा गठित की जाएगी।

काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने के लिए काउंसिलिंग की तिथियां छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अतः प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने के पश्चात काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी हेतु अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाचार पत्रों के अंक प्रतिदिन आवश्यक रूप से देखते रहें। काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी तकनीकी शिक्षा संचालनालय की अधिकृत वेबसाइट www.cgdteraiipur.ac.in में देखी जा सकती है। **इस संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना/कॉल लेटर नहीं भेजी जायेगी।**

काउंसिलिंग (दस्तावेज परीक्षण) के समय अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अर्हकारी परीक्षा अनुत्तीर्ण या पूरक (कम्पार्टमेंट) के अभ्यर्थी काउंसिलिंग के पात्र नहीं होंगे। तथापि संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार कृपांक से उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे, परंतु कृपांक के अंक मेरिट की गणना के लिए जोड़े नहीं जाएंगे। प्रायोजित अभ्यर्थी का प्रवेश संस्था स्तर पर होगा। इसके लिए प्रायोजित अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी से प्रायोजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रायोजित सीटों में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको की मेरिट के आधार पर होगा एवं शेष नियम तथा आरक्षण का नियम भी इसमें लागू रहेगा।

- 2.8.2 काउंसिलिंग हेतु निर्धारित फीस - सभी अभ्यर्थियों को ऑन लाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिये निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क रु.500/- (रुपये पाँच सौ केवल) की राशि जमा करना अनिवार्य है। जमा करने का माध्यम की जानकारी काउंसिलिंग के पूर्व वेबसाइट www.cgdteraiipur.ac.in पर दी जायेगी।

2.8.3 ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रक्रिया :-

1. ऑनलाईन काउंसिलिंग के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी काउंसिलिंग के पूर्व वेबसाइट www.cgdteraiipur.ac.in पर दी जायेगी।

2. दस्तावेज परीक्षण कराना (Document Verification) –

आबंटन से पूर्व आपके दस्तावेजों का परीक्षण होना अनिवार्य है, इसके बिना आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, पालक को साथ में लाना अनिवार्य नहीं है तथापि यदि आवश्यक हो तो केवल एक पालक साथ में आ सकते हैं। दस्तावेज परीक्षण का कार्य संचालनालय द्वारा निर्धारित दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में से किसी भी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में कराया जा सकता है। ध्यान रहे कि यदि आपने विकल्प तो भरा है परंतु दस्तावेजों का परीक्षण नहीं कराया है तो आपका प्रकरण आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि DVC द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म करने के पश्चात् ही आपका विकल्प डाटाबेस में आयेगा (दस्तावेज परीक्षण केन्द्र कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में खुले रहेंगे, केवल दोपहर 1.30 से 2.00 बजे के मध्य भोजनावकाश रहेगा)।

दस्तावेज परीक्षण के समय भी यदि आपको लगता है कि आपने विकल्प गलत भर दिये हैं अथवा उनके क्रम अलग दे दिये हैं तो दस्तावेज परीक्षण कार्य को ऑनलाईन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा कन्फर्म करने से पूर्व आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। जो

Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2016

अंतिम बदलाव होगा वही मान्य होगा। एक बार दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म कर देने के पश्चात् फिर विकल्प में फेरबदल नहीं हो सकता।

दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है :-
(सूची में परिवर्तन हो सकता है। जिसकी जानकारी वेबसाइट में दी जायेगी)

स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक	स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक
1	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार रायपुर	रायपुर	0771-2421376	12	रामकृष्ण राठौर शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर, पेन्ड्री	जांजगीर	07817-222456
2	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर, मनेन्दगढ़ नाका, अंबिकापुर	सरगुजा	07774-220609	13	किरोड़ीमल शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़, चक्रधर नगर, रायगढ़	रायगढ़	07762-222737
3	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर, कोनी,, बिलासपुर	बिलासपुर	07752-260289	14	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम, पुराना जिला पंचायत भवन, कबीरधाम	कबीरधाम	07741-232636
4	शासकीय पॉलीटेक्निक, भकरूपुर, नारायणपुर	नारायणपुर	07781200078	15	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा, बालको, उरगा, रिंग रोड, कोरबा	कोरबा	07759-659874
5	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर, मेन रोड, तखतपुर	बिलासपुर	07753-264963	16	शासकीय पॉली., महासमुन्द, बी. टी.आई. रोड, महासमुन्द	महासमुन्द	07723-224818
6	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर, धरमपुरा नं-2, जगदलपुर	बस्तर	07782-229436	17	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक बायरन बाजार, रायपुर,	रायपुर	0771-2423045
7	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, धरमपुरा नं.-2, जगदलपुर,	बस्तर	07782-229230	18	मिनीमाता शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक पेन्ड्री., राजनांदगाँव,	राजनांदगाँव	07744-292955
8	भोपाल राव पवार शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी, रूद्री, धमतरी	धमतरी	07722-237618	19	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़, मेन रोड, खैरागढ़	राजनांदगाँव	07820-234010
9	उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग, जी.ई. रोड, दुर्ग	दुर्ग	0788-2323548	20	शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद	गरियाबंद	07706241303
10	शासकीय पॉलीटेक्निक रामानुज उच्च. मा.शाला भवन, बैकुण्ठपुर	कोरिया	07836232070	21	शासकीय पॉलीटेक्निक पुराना कोर्ट भवन कांकेर	कांकेर	07868222081
11	शासकीय पॉलीटेक्निक, शास. एन.ई. एस. पी.जी. कालेज केम्पस जशपुर	जशपुर	07763220051	22	शासकीय पॉलीटेक्निक वेंकटराव कालेज केम्पस, बीजापुर	बीजापुर	07853220015

यह हो सकता है कि किसी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या आ रही हो ऐसा होने पर किसी अन्य नजदीकी संस्था में जाकर दस्तावेज परीक्षण कराया जा सकता है।

दस्तावेज परीक्षण हेतु समय-सारणी समाचार पत्रों एवं वेबसाइट में यथा समय प्रसारित की जायेगी।

2 (अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सारे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं आपने उसके एक सेट फोटो कॉपी करा लिये हैं। जो दस्तावेज आपको लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाना है वे निम्नानुसार हैं :

सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज - सभी प्रमाण पत्रों के मूल (Original) एवं 1 सेट फोटोकॉपी लेकर जाना अनिवार्य है, परंतु मूल प्रमाण पत्र DVC में जमा नहीं करना है। केवल दिखाना है एवं वापस प्राप्त करना है। सभी मूल प्रमाण पत्र वापस प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की रहेगी।

1. कम्प्यूटर से प्रिंट किया गया एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म की प्रति (फोटो लगा हुआ)।

2. 10वीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र।

3. स्नातक/अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं)। दस्तावेज परीक्षण के दिन अभ्यर्थी को स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। **पूरक/अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी का दस्तावेज परीक्षण नहीं किया जायेगा।**

4. प्रवेश परीक्षा (GATE, GPAT, CMAT) की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं)।

5. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र-4 प्रारूपों (प्रारूप क्रमांक - 5, 6, 7 या 8) में से किसी एक प्रारूप में (च्वाईस सेंटर से बना निवास प्रमाण पत्र भी मान्य होगा)।

छत्तीसगढ़ राज्य की आरक्षित श्रेणियों के लिये अतिरिक्त अनिवार्य दस्तावेज -

6. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने के लिये **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा)। अन्य राज्य के SC/ST/OBC के प्रमाण पत्र धारी को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा।
7. यदि अभ्यर्थी निःशक्तता से बाधित (PWD) है तो निःशक्तता से बाधितता प्रमाण पत्र (1) जिला मेडिकल बोर्ड से (2) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु संचालित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर का प्रमाण पत्र।
8. यदि आवेदक बी.पी.एल. परिवार में आता है तो सक्षम अधिकारी से जारी पालक का बी.पी.एल.कार्ड।

टीप : यदि आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो डाटाबेस में दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका प्रवर्ग (Category) SC/ST/OBC को परिवर्तित कर UR कर दी जायेगी एवं आपका आबंटन UR के मेरिट के आधार पर होगा न कि आरक्षित श्रेणी के आधार पर। उसी प्रकार यदि आपके पास निःशक्तता से बाधित का प्रमाण पत्र नहीं है तो संबंधित वर्ग (Class) को Nil में परिवर्तित कर दिया जायेगा एवं तदनुसार आबंटन होगा।

- 2.8.4 गंभीर बीमारी:-**यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने के कारण नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ है और वे इस आशय का चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/संबंधित चिकित्सालय के प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करते हैं, तो उनके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि दस्तावेजों के प्रवेशित संस्था के स्तर पर सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिए विभाग सक्षम होगा।
- 2.8.5 प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यताक्रम सूची में स्थान प्राप्त करेंगे उनकी गणना अनारक्षित प्रवर्ग में की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अनारक्षित प्रवर्ग अथवा संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत उपलब्ध संस्था का चयन प्रावीण्यता के आधार पर कर सकेंगे।
- 2.8.6 (अ) किसी भी आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत निःशक्तता से बाधित वर्ग (PWD) में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उसी आरक्षित प्रवर्ग के बिना वर्ग (OP) में परिवर्तित कर भरा जाएगा। परंतु अनारक्षित प्रवर्ग (UR) के अंतर्गत निःशक्तता से बाधित वर्ग (PWD) के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के आने वाले निःशक्तता से बाधित वर्ग के अभ्यर्थी को भी आबंटन किया जायेगा।
- (ब) किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत बिना वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य प्रवर्ग में परिवर्तित कर भरा जाएगा।

अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (ST) के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जाति (SC) के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति (SC) के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इन दोनों प्रवर्गों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन प्रवर्गों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। जब इन तीनों प्रवर्गों के अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान अनारक्षित प्रवर्ग (UR) के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।

(स) रिक्त सीटों का परिवर्तन नियमानुसार प्रत्येक चरण में किया जायेगा।

- 2.8.7 एक बार अभ्यर्थी काउंसिलिंग के प्रथम/द्वितीय चरण में किसी पाठ्यक्रम/संस्था में आबंटन प्राप्त कर लेता है और काउंसिलिंग के अगले चरण होते हैं तो अभ्यर्थी उसमें भाग ले सकता है परंतु अगले चरण में रजिस्ट्रेशन करने पर उसकी वर्तमान सीट निरस्त हो जायेगी एवं रिक्त सीट में जुड़ जायेगी। यदि संस्था स्तर की काउंसिलिंग की अनुमति दी जाती है तो इसमें भी पूर्व प्रवेशित छात्र शामिल हो सकता है।

2.8.8 छात्र द्वारा आबंटन/प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी के नियम -

1. काउंसिलिंग के दौरान प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व अपना प्रवेश रद्द करवाने पर रू.1000/- की कटौती संबंधित संस्था द्वारा करने के पश्चात् शेष राशि संबंधित संस्था द्वारा वापस की जायेगी।
2. प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर प्रवेश तिथि से निरस्त की तिथि तक शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क तथा विकास शुल्क (Tution & Other Fees and Development Fees) की मासिक आनुपातिक राशि की कटौती संस्था द्वारा की जायेगी एवं शेष राशि अभ्यर्थी को संस्था द्वारा वापस की जायेगी। कौशन मनी पूरी वापस की जायेगी।
कटौती की जाने वाली फीस की गणना निम्न फार्मूला से की जायेगी :-

$$\text{Deductable Fees} = \text{No. of admitted months} * \text{Total fees/ No. of months in a Semester as declared by University}$$

फीस में शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क सम्मिलित हैं। प्रत्येक माह को 31 दिवस के गुणांक में माना जायेगा। यदि उससे अधिक दिवस होता है तो उसे एक माह के बराबर माना जायेगा।

3. प्रवेश निरस्त कराने/होने पर फीस वापसी के मामले में शिकायत प्राप्त होने पर फीस विनियामक समिति के निर्णय/निर्देशों के अनुसार कार्यवाही होगी।

2.8.9 संस्था स्तर की काउंसिलिंग :

प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए ऑन लाईन काउंसिलिंग के अधिकतम 3 चरण करने के पश्चात् भी यदि संस्थाओं में सीटें रिक्त रह जाती है और यदि सक्षम अधिकारी के राय में इसके पश्चात् संस्था स्तर की काउंसिलिंग कराये जाने की आवश्यकता हो तो प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व संस्था स्तर की काउंसिलिंग की अनुमति दी जा सकेगी। संचालनालय से बिना पूर्व अनुमति के संस्था स्तर की काउंसिलिंग नहीं की जा सकेगी। संस्था स्तर की काउंसिलिंग विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर तथा रिक्त सीटों की जानकारी देकर करनी होगी। किसी संस्था में उपलब्ध रिक्त सीट पर अन्य संस्थाओं के छात्र भी शामिल हो सकते हैं।

2.8.10 **प्रवेश की अंतिम तिथि** : स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सत्र 2016-17 में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2016 निर्धारित की जाती है। इस संबंध में माननीय न्यायालय/शासन का निर्णय अंतिम होगा।

2.9 **संचालनालय/संस्था द्वारा आबंटन/प्रवेश निरस्त करना**-यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है, या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संचालनालय/संस्था प्रमुख द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संचालक, तकनीकी शिक्षा, रायपुर द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.10 अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

2.11 छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

2.12 **शिक्षण शुल्क** - “छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008” के अंतर्गत गठित की गई “प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति” द्वारा एमई/एमटेक पाठ्यक्रमों के लिए दिनांक 25.06.2014 को पारित संकल्प में एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम के लिए सत्र 2016-17 की फीस का निर्धारण करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 9-4/2016/तक.शि./42 दिनांक 02.02.2016 के अनुसार निम्नानुसार संस्थाओं की फीस निर्धारित की गई है : -

Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2016

एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम के लिये सत्र 2016-17 के लिये अंतिम शुल्क

S.N.	Name of Institution (For M.E./M.Tech Course)	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Tuition fee, Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	Bhilai Institute of Technology, Bhilai House, Durg	31725
2	Choukse Engineering College, Lal Khadan, Bilaspur	31725
3	Christian College of Engineering & Technology, Bhilai	31725
4	Raipur Institute of Technology, Raipur	31725
5	Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai	31725
6	Shri Shankaracharya group of Institutions faculty of Engg. & Technology, Bhilai	31725
7	Mats School of Engineering and Technology, Raipur	26225
8	Shri Shankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Mujgahan, Raipur	26225

उपरोक्त शुल्क में रु 2475 प्रति सेमेस्टर विकास शुल्क तथा रु 2000 प्रति सेमेस्टर विविध शुल्क सम्मिलित है।
शेष संस्थाओं की अंतरिम फीस भी उपरोक्तानुसार ही होगी। अंतिम फीस लागू होने पर अंतर की राशि देय होगा।

एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिये सत्र 2016-17 के लिये अंतिम शुल्क

S.N.	Name of Institution (For MBA Course)	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	Bhilai Institute of Technology, Bhilai-House, Durg	31830
2	Chouksey Engineering College, Lal Khadan, Masturi Road, Bilaspur	29830
3	Disha Institute of Management & Technology, Nardaha, Raipur	31830
4	Dr. C.V. Raman Institute of Science & Technology, Kota, Bilaspur	29830
5	Raipur Institute of Technology, Chhatona, Mandir Hasaud, Raipur	31830
6	Rungta College of Engineering & Technology, Kohka Road, Bhilai	31830
7	Sri Shankaracharya Group of Institutions, Faculty of Mangt. Studies, Junwani, Bhilai	31830
8	Columbia Institute of Engg. & Technology, Tekari, Raipur	29830
9	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Technology, Pacheda, Raipur	29830
10	Shri Sankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Raipur	31830
11	Shri Sankaracharya Institute of Technology & Management, Junwani, Bhilai	31830
12	Shri Shankaracharya Engineering College, Junwani, Bhilai	31830

उपरोक्त शुल्क में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क (रु.2030/- प्रति सेमेस्टर) एवं अन्य विविध शुल्क (रु. 2000/- प्रति सेमेस्टर) सम्मिलित है।

“छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008” के अंतर्गत गठित की गई “प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति” द्वारा एम. फार्मेसी पाठ्यक्रम में सत्र 2014-15, 2015-16 में प्रवेश हेतु फीस दिनांक 11.02.2015 को संकल्प पारित कर निर्धारित किया गया तत्पश्चात छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 9-4/2016/तक.शि./42 दिनांक 02.02.2016 के अनुसार निम्नानुसार संस्थाओं की फीस निर्धारित की गई है जो सत्र 2016-17 के लिए अंतिम फीस निर्धारण तक अंतरिम फीस होगा। अंतिम फीस निर्धारण पश्चात अंतर की राशि देय होगा : -

Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2016

एम.फॉर्मसी पाठ्यक्रम के लिये सत्र 2016-17 के लिये अंतरिम शुल्क

S.N.	Name of Institution	M Pharmacy Total Fee (Per Semester)
1	Columbia College of Pharmacy, Raipur	50,120/-
2	Rawatpura Sarkar Institute, Kumhari, Durg	50,120/-
3	Rungta College of Pharmaceutical Science & Research, Bhilai	50,120/-
4	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	50,120/-

उपरोक्त शुल्क में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क (रु.3920/- प्रति सेमेस्टर) एवं अन्य विविध शुल्क (रु. 2000/- प्रति सेमेस्टर) सम्मिलित है।

टीप : संस्था में शुल्क नगद जमा नहीं किया जाना है । शुल्क संस्था द्वारा निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते में चालान के माध्यम से, डी.डी., चेक अथवा किसी अन्य बैंकिंग इंस्ट्रुमेंट के माध्यम से ही जमा किये जायें।

2.13 ट्यूशन फी वेव्हर योजना- Tution Fee Waiver (TFW) Scheme

यह योजना इन पाठ्यक्रमों के लिये लागू नहीं है ।

2.14 रैगिंग

2.14.1 परिभाषा:- रैगिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना ।

2.14.2 रैगिंग का प्रतिशोध :- किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा ।

2.14.3 दण्ड :- यदि कोई व्यक्ति रैगिंग के प्रतिशोध के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दंडित किया जा सकेगा । इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा.

2.14.4 अपराधों का विचारण :-

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

2.14.5 छात्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता :-

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या गिरण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा ।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा ।

ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

2.14.6 रैगिंग के संबंध में टोल फ्री नंबर 1800-233-9188 पर शिकायत की जा सकती है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(वाय.पी.दुपारे)

अवर सचिव

छ.ग. शासन

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा

एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय

Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2016

Table-1

विभिन्न संस्थानों में एम.ई./एम.टेक.पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों का विवरण

Intake for M.E/M.Tech 2016-17 (May be changed)				
S.N.	Name of Institutions & Branch	M.E./M.TECH	Specialisation	Intake
1	Govt. Engg. College Jagadapur	M.E. (Civil)	Structural Engg.	18
		M.E. (Mech)	Thermal Engg.	18
2	Christian College of Engg & Technology, Bhilai	M. Tech. (Mech.)	CAD/CAM Robotics	12
		M. Tech. (ET&T)	Nano Technology	12
3	Raipur Institute of Technology, Chhatona, Mandir Hasaud, Raipur	M.E. (Chemical)	Environment Engg.	11
		M.Tech. (CS)	Computer Science and Engg.	11
		M.E. (Mech)	Thermal Engg.	11
		M.E. (Electrical)	Power Electronics	11
		M.E. (Mech.)	Energy Management	11
		M.E. (Mech.)	Machine design	11
		M.E. (CS)	Software Engg.	11
4	Shri Shankaracharya Technical Campus, (SSGIs) Bhilai	M.Tech. (CS)	Computer Tech & Application	32
		M.Tech.(ET&T)	Electronics & Telecommunication Engg.	32
		M.E. (Mech.)	Machine Design	16
		M.E. (Electrical)	Power System Engg.	16
		M.Tech. (ET&T)	VLSI Design	16
		M.E. (Mech)	Thermal Engg.	16
		M.E. (CSE)	Computer Science and Engg.	21
		M.E. (IT)	Information Technology	16
		M.E. (Civil)	Structural Engg.	16
5	Chhatrapati Shivaji Institute of Technology, Kolihapuri, Durg	M.Tech.(ET&T)	Electronic & Telecommunication Engg.	18
		M.Tech. (CSE)	Computer Science and Engg.	18
		M.E. (Electrical)	Electrical Device and Power System	18
		M.Tech. (Mech.)	Industrial Engg. and Management	18
6	Choukse Engineering College, Lal Khadan, Masturi Road, Bilaspur	M.Tech.(ET&T)	Digital Electronics	18
		M.E. (Mech)	Production Engg.	18
7	Disha Institute of Management & Technology, Raipur	M.E. (E.E.E.)	Electrical Device and Power System	24
		M.Tech. (ET&T)	VLSI and Embedded System Design	18
		M.Tech. (CSE)	Information Security	24
8	Bhilai Institute of Technology, Bhilai House, Durg	M.E. (Mech)	Production Engg.	20
		M.E. (Civil)	Structural Engg.	18
		M.Tech. (ET&T)	Instrumentation. & Control	20
		M.E. (CS)	Computer network	18
		M.E. (CS)	E Security	18
		M.E. (Mech.)	Ind. Drives & control	18

Admission Rule for M.E./M.Ph/MBA – 2016

S.N.	Name of Institutions & Branch	M.E./M.TECH	Specialisation	Intake
9	Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai	M.Tech. (CS)	Computer Science and Engg.	19
		M.Tech.(ET&T)	Digital Electronics	14
		M.E. (Electrical)	Power Electronic & Engg	14
		M.Tech. (CS)	Software Engg.	14
		M. Tech. (CS)	Computer Technology-Electrical Engg	19
		M.E.(Civil)	Civil Engg.	14
		M.E. (Mech)	Production Engg.	14
10	School of Engg & IT MATS University Arang, Raipur	M.E. (C S)	Computer Science and Engg.	18
		M.E. (Mech.)	Turbo Machinery	18
		M.E. (Electrical)	Power Electronics	18
11	Bharti College of Engg, & Tech., Durg	M.E. (CSE)	Computer Science and Engg.	19
12	Central College of Engineering & Management, Kabir Nagar Raipur	M.E. (CSE)	Computer Science and Engg.	14
		M.E. (ET&T)	Digital Elex	14
13	GD Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai	M.E.(E&TE)	Electronics & Telecommunication Engg.	19
		M.E. (Mech.)	Production Engg.	19
		M.E. (CS)	Software Engg.	19
14		M.E. (Civil)	Structural Engg.	18
15	RSR, Rungta College of Engg. & Technology, Bhilai	M.E.	Power System & Control	19
		M.E. (CSE)	Computer Science and Engg.	19
		M.E. (Civil)	Structural Engg.	19
16	Shri Shankaracharya Institute of Engineering & Technology, Durg	M.E. (Mech.)	Production Engg.	20
		M.E.(E&TE)	Electronics & Telecommunication Engg.	20
17	Rungta Engineering College ,Raipur	M.E. (CSE)	Computer Science and Engg.	19
18	Rungta College of Engineering & Technology, Raipur	M.E. (CSE)	Computer Science and Engg.	18
		M.E. (Mech)	Thermal Engg.	18
19	Shri Sankaracharya Institute of Professional Mangt & Tech, Raipur	M.E. (Mech.)	Production Engg.	16
		M.E. (Civil)	Structural Engg.	16
20	Shri Shankaracharya Engineering College, Bhilai	M.E. (Mech)	Thermal Engg.	16
		M.Tech. (ET&T)	Instrumentation. & Control	16
		M.E. (CS)	E Security	16
21	Shri Sankaracharya Institute of Technology & Management , Bhilai	M.E. (ET&T)	Digital Elex	16
		M.E. (Mech.)	Production Engg.	16
		M.E. (Electrical)	Power System & Control	16
		M.E. (CS)	Cyber Forensic Information	16
22	Bhilai Institute of Technology, Raipur	M.E. (Mech.)	Industrial Safety	18

Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2016

S.N.	Name of Institutions & Branch	M.E./M.TECH	Specialisation	Intake
23	Vishwavidhyalay Engineering Mahavidhyalay, Lakhanpur (Sarguja University, Ambikapur)	M. Tech. (Civil)	Structural Engg.	18
		M. Tech. (Mech.)	Machine design	18
		M. Tech. (Electri)	Power & Control	18
		M. Tech. (CSE)	Computer Science and Engg.	18
TOTAL				1274

टीप:- उपरोक्त कुल सीटों में से विषयवार/ब्रांचवार एवं संस्थावार प्रति 18/20 सीटों पर 5 सीटें तथा 24 सीटों पर 6 सीटें एवं 36 सीटों पर 9 सीटें प्रायोजित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी । तथापि आरक्षित सीटें नहीं भरने पर इसे सामान्य अभ्यर्थी से GATE के माध्यम से भरा जा सकेगा। उसी प्रकार यदि सामान्य अभ्यर्थी से GATE के माध्यम से सीट नहीं भरती है , तो उसे प्रायोजित अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा। प्रायोजित अभ्यर्थियों के प्रवेश को भी आनलाइन अपडेट करना अनिवार्य है।

Table-2

विभिन्न संस्थानों में एम.फार्मैसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों का विवरण

S.N.	Name of M.Pharmacy Institutions (May be changed)	Intake
1	Columbia Institute of Pharmacy, Tekari, Raipur	
	Pharmacology	18
	Pharmaceutics	18
2	Rungta College of Pharmaceutical Science & Research, Bhilai	
	Pharmaceutics	16
3	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, Distt – Durg	
	Pharmaceutical Chemistry	18
	Pharmaceutics	10
	Pharmacognocny	10
4	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	
	Pharmacognocny	9
Total		117

Table-3

विभिन्न संस्थानों में एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों का विवरण

Intake for Management Institution for 2016-17 (May be changed)		
S.No.	Name of MBA Institution	Intake
1	Bhilai Institute of Technology, Bhilai-House, Bhilai, Durg	120
2	Central College of Engineering & Mngt, Kabir Nagar, Raipur	48
3	Lakhmi Chand Institute of Technology, Bilaspur, (LCIT,BSP)	60
4	Choukse Engineering College, Lal Khadan, Masturi Road, Bilaspur	60
5	Columbia Institute of Engg. & Technology, Vill - Tekari, Raipur	45
6	Disha Institute of Management and Technology, Nardaha, Raipur	120
7	GD Rungta College of Engineering & Technology, Kurud, Bhilai	48
8	Kruti Institute of Tech. & Engineering Near Gyan Ganaga School, Raipur	30
9	Raipur Institute of Technology, Chhatona, Mandir Hasaud, Raipur	120
10	Rungta College of Engineering & Technology, Kohka Road, Kurud, Bhilai	48
11	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Technology,Pacheda, Raipur	54
12	Shri Sankaracharya Institute of Professional Mant. & Technology, Raipur	54
13	Shri Sankaracharya Institute of Tech. & Management , Junwani, Bhilai	54
14	Shri Shankaracharya Engineering College, Junwani, Bhilai	54
15	Sri Shankaracharya Group of Institutions, Faculty of Mangt. Studies,Bhilai	162
16	Mats school of mangt studies and research , MATS Univresity, Arang	120
Total		1197

टिप्पणी :-

सीटों की संख्या में परिवर्तन का अधिकार राज्य शासन के पास सुरक्षित है तथा उसमें आरक्षण भी तत्समय लागू नियमों के अनुसार होंगे ।

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

(नियम 2.5.1)

अनुभाग जिला छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक
प्रमाण पत्र क्रमांक प्रकरण क्रमांक

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्रीपिता/पति का नाम
निवासी ग्राम/नगरपटवारी हल्का नं. वि.खं.
तहसीलजिला संभाग जाति/जनजाति
का/की सदस्य है और इस जाति /जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित
जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/जनजाति एवं अनुसूचित
जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक.....
पर अंकित है अतः श्री/सुश्री पिता/पति का नाम
अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री के परिवार की कुल वार्षिक आय
रुपये है।

दिनांक-

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप-2

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र
(नियम 2.5.1 देखें)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग जिला छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक प्रमाण पत्र क्रमांक

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीआत्मज
श्री निवासी ग्रामजिला
संभाग छत्तीसगढ़ के निवासी है, जोजाति के हैं,
जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना
क्रमांक एफ 8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।
श्री और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला
संभाग में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक
को प्रवजन कर चुका है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग)
व्यक्तियों/वर्गों की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक
360/2122/93/स्था.(एस.सी.टी.)दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची में कालम -3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन
विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम
(3)में किया गया है।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्रीके परिवार की कुल
वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
(नियम 2.6.2)

क्रमांक

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्रीआत्मज/आत्मजा/पत्नी
निवासी.....

तहसील व जिला..... छत्तीसगढ़ का स्थानीय
निवासी है, क्योंकि वह

1/ निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :-

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।

2. (क) वह,

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई -

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैद्य अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालकों में से कोई भी :-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।
परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है।

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों अर्थात :-

Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2016

- (क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा
- (ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा।
- (ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा,

2/ उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे :-

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।
- (ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।
- (घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/ अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान ।

3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील

छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के कार्मिकों संबंधी प्रमाण-पत्र
(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो एम.ई./एम. फार्मसी/एमवीए प्रथम वर्ष में प्रवेश का / की अभ्यर्थी है श्री/सुश्री.....
(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का की/संतान है,

(क) जो छत्तीसगढ़ शासन केविभाग में.....
पद पर..... तिथि से पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक हैं ।

अथवा

(ख) जो छत्तीसगढ़ शासन केविभाग मेंपद पर पदस्थ
छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक थे ओर.....तिथि से इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए ।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष के
हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा

प्रारूप-5

भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों / अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ
कार्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र
(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमंक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो एम.ई.
/एम.फार्मैसी/एमबीए प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है, श्री/सुश्री.....
(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का/की/संतान है, जो.....तिथि से छत्तीसगढ़ में स्थित इस
कार्यालय.....स्थान.....
जिला.....में.....पद पर पदस्थ हैं जो भारत
सरकार के.....विभाग.....

अथवा

भारत सरकार केसार्वजनिक उपक्रम

अथवा

भारत सरकार केअर्धशासकीय निकाय का/की कार्मिक है ।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा

छत्तीसगढ़ में पुनर्वास स्थापन संबंधी प्रमाण पत्र

(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....जो एम.ई./एम.फार्मसी/

एमबीए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है। श्री/सुश्री

का/की/संतान है, जो..... योजना के तहत छत्तीसगढ़ में

व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना है ।

स्थान

दिनांक

.....

हस्ताक्षर

कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

प्रारूप-7

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र
(नियम 2.5.4)

संदर्भ क्रमोंक.....

दिनोंक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो एम.ई./एम.फार्मेसी/एमबीए प्रथम वर्ष में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री..... (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित हैं ।

स्थान.....

दिनोंक.....

.....
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्रारूप-8

छत्तीसगढ़ के कार्मिक जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई हो की संतान हेतु प्रमाण पत्र
(नियम 2.5.4.2)

संदर्भ क्रमोंक.....

दिनोंक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो एम.ई./एम.फार्मेसी/एमबीए प्रथम वर्ष में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थियों की स्थानों के विरुद्ध प्रवेश का अभ्यर्थी है, के पिता/माता/श्री/सुश्री.....छत्तीसगढ़ के कार्मिक हैं जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु पदस्थ हैं जिनकी पदस्थापना दिनोंक.....से दिनोंक..... तक(स्थान का नाम) जिला.....में रही है ।

स्थान.....

दिनोंक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
शासन में विभागाध्यक्ष
अधिकारी के हस्ताक्षर, पद एवं विभाग का नाम

Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2016

Important Information of Engineering Colleges running ME/M.Tech courses								
S. N.	College Name	Code	Estb.Yr	Phone No.	Fax	E-mail	Website	Contact No.
1	Bhilai Institute of Technology, Bhilai House, Durg , [BIT,DURG]	EN106	1986	07882323997	2210163	bit@bitdurg.org	www.bitdurg.org	9425555770
2	Chhatrapati Shivaji Institute of Technology, Shivaji nagar Durg , [CSIT,DURG]	EN109	1999	07882320884	2334808	registrar@csitdurg.in	www.csitdurg.in	9826937473
3	Chouksey Engineering College, Lal Khadan, Masturi Road, Bilaspur,(CHOUKSEY,BSP)	EN112	2001	07752302100	302101	info@cecbilaspur.ac.in	www.cecbilaspur.ac.in	9685045008
4	Christian College of Engineering & Technology, Kailash Nagar Bhilai, (MPC CET,BHILAI)	EN108	1998	07882286662	2285266	mpccet@mpccet.ac.in	www.mpccet.ac.in	9981991417
5	Disha Institute of Management & Technology, Nardaha ,Raipur,[DIMAT,R]	EN114	2005	0771423100	4200110	info@desindia.in	www.desindia.in	9755590000
6	Govt. Engineering College,Dharampura, Jagdalpur	EN102	1983	07782229439	229401	principal@gecjd.ac.in	www.gecjd.ac.in	9425891723
7	Raipur Institute of Technology, Chhatona Raipur , [RIT,R]	EN107	1995	07713208842	2537634	contactus@rit.edu.in	www.rit.edu.in	9329773012
8	Rungta College of Engineering & Technology, Kohaka Road Kurud ,Bhilai ,[RCET,BHILAI]	EN110	1999	07886666666	2286480	rcet@rungta.ac.in	www.rungta.ac.in	9229155550
9	Shri Shankaracharya Group of Institutions (Faculty of Engineering and Technology), Junwani, Bhilai , [SSGI ,BHILAI,] (F.S)]	EN111	1999	07882291605	2291606	sscet@yahoo.co.in	www.sscet.ac.in	9826128489
10	MATS School of Engineering and Technology,MATS University,Gullu,Aarang,Raipur, (MATS,R)			07714078995		matset08@gmail.com	www.matsuniversity.ac.in	7509999933
11	Bharti College of Engineering & Technology, Durg,(BCET,DURG)			07882982230		bhartiyacollege@gmail.com	www.bharticollege.org	9752162222
12	Central College of Engineering & Management, Kabir Nagar, Ring Road No. 2, Raipur, (CCEM,R)			07712322240		ccemryp@gmail.com	www.ccemraipur.co.in	9437072552
13	GD Rungta College of Engineering, Bhilai, (GDR CET,BHILAI)			07886459564		info@rungtacollages.com	www.rungtacolleges.com	9229155570
14	RSR, Rungta College of Engineering & Technology, Kohka Kurud Road, Bhilai, (RSRR CET,BHILAI)			07886459564		info@rungtacollages.com	www.rungtacolleges.com	9229344401

Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2016

15	Shri Shankaracharya Institute of Engineering & Technology, Vill - Khapri (Dhamdha Road) PO - Jewra Sirsa, Tah - Durg, (SSIET,DURG)			07882613211		ssiet09@gmail.com	www.ssiet.co.in	9977247605
16	Rungta Engineering College, Behind Nandan Van, Veer Savarkar Nagar, Ward No. - 1, Raipur, (REC,R)			07716666666		rsrcet@rungta.ac.in	www.rungta.ac.in	9229355569
17	Rungta College of Engineering & Technology, Behind Nandan Van, Veer Savarkar Nagar, Ward No.- 1, Raipur			07716666666		rcetrpr@rungta.ac.in	www.rungta.ac.in	9229355567
18	Shri Sankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Mujgahan, Raipur, (SSIPMT,R)			07712120555		info@ssipmt.com	www.ssipmt.com	9617020000
19	Shri Shankaracharya Engineering College, Junwani, Bhilai, (SSEC,BHILAI)			07882291605		ssecbhilai@gmail.com	www.ssecb.ac.in	9425555191
20	Shri Shankaracharya Institute of Technology & Management, Junwani, Bhilai, (SSITM,BHILAI)			07882291621		contacts@ssitm.ac.in	www.ssitm.ac.in	9589086099
21	Bhilai Institute of Technology, Kendri, Distt. Raipur, (BIT, R)			07712120232		bit.raipur@yahoo.com	www.bitraipur.com	7898351444
22	Vishwavidhyalay Engineering Mahavidhyalay, Lakhanpur (Sarguja University, Ambikapur)			07774261224		dewangankavita0@gmail.com	www.sua.nic.in	9406037540

Important Informations of Colleges running M.Pharmacy courses

S.no.	Institute Name	Code	Stb.Yr	Phone no.	Fax	E-mail	Website
1	Columbia Institute of Pharmacy, Tekari, Raipur		2005	07716456853	266302	cipraipur@gmail.com	www.columbiaiop.ac.in
2	Rungta College of Pharmaceiutical Science & Reasearch, Kohaka Road Kurud , Bhilai		2006	07886666666	2286480	info@rungta.ac.in	www.rungta.ac.in
3	School of Pharmacy, Chouksey Engineering College, Bilaspur		2004	07752302100	302101	info@cecbilaspur.ac.in	www.cecbilaspur.ac.in
4	Shree Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, Kumhari, Durg		2004	09203910085	247022	sripkumhari@gmail.com	www.sri.ac.in

Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2016

Important Informations of Colleges running MBA Course							
S.N	InstituteName	Code	In.Phone	Code	Fax	InstituteEmailID	MobileNo
1	Bhilai Institute of Technology, Durg	0788	2323997			bit@bitdurg.org	9425555770
2	Central College of Engineering & Management, Raipur	0771	23222400			ccemryp@gmail.com	9437072552
3	Lakhmi Chand Institute of Technology, Bilaspur, (LCIT,BSP)	0775	2217555			lcit.bsp@gmail.com	9179080005
4	Chouksey Engineering College, Bilaspur	7752	302100	7752	302101	info@cecbilaspur.ac.in	9685045010
5	Disha Institute of Management and Technology, Raipur	771	4231000	771	4200110	info@desindia.in	
6	Columbia Institute of Engg. & Technology, Raipur	771	6461098	771	4004681	info@cietraipur.ac.in	9926692600
7	GD Rungta College of Engineering & Technology, Durg	788	6459564	788	2286481	info@rungtacolleges.com	9229155552
8	Kruti Institute of Engg. & Technology,Raipur						
9	Raipur Institute of Technology, Raipur	771	3208842	771	2537634	registrar@rit.edu.in	9329773001
10	Rungta College of Engineering & Technology, Kohka-Kurudh Road,Bhilai	788	6666666	788	2286480	rcet@rungta.ac.in	9229155552
11	Shri Rawatpura Institute of Engg.& Technology, Paceda ,New Raipur						
12	Shri Sankaracharya Institute of Professional Mant. & Technology, Raipur	771	2120666	771	2120777	info@ssipmt.com	9753403982
13	Shri Sankaracharya Institute of Tech. & Management, Bhilai	788	2291621	788	2291622	info.mba@sitm.ac.in	9425555191
14	Shri Shankaracharya Engineering College, Bhilai	788	2291605	788	2291601	ssecbhillai@gmail.com	9993373306
15	Sri Shankaracharya Group of Institutions, Faculty of Mangt. Studies, Bhilai	788	2291605	788	2291606	ssgi@ssgi.edu.in	
16	Mats school of mangt studies and research, Raipur	0771	4078995			matset08@gmail.com	7509999933